UPMP040084422026

IN THE COURT OF
Addl. Civil Judge Sr. Div. Cri AT ,Mainpuri
Presided Over by SMT. FARHEEN KHAN
Criminal Misc. Cases/1633/2026

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं– 66/2026
पुष्पा देवी बनाम भारत सिंह आदि।

अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना किशनी, जिला मैनपुरी।

दिनांक– 10.06.2026 **आदेश**

1– पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

2– प्रार्थी/आवेदक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आश्य का दिया कि " दिनांक 16.04.2026 को समय करीब 7 बजे शाम प्रार्थी के भाई राजा तिवारी को प्रार्थी के गाँव के ही रामनिवासी मिश्रा, श्यामजी मिश्रा उर्फ रामभरोसे पुत्रगण ईश्वर दयाल मिश्रा, मिठू उर्फ अजय मिश्रा पुत्र रामनिवास मिश्रा ने लाठी डन्डों से मारकर घायल कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट थाना किशनी में प्रार्थी के भाई ने उसी दिन दर्ज कराई थी। इसी बात को लेकर दिनांक 16.04.2026 को ही शाम करीब 06:30 बजे प्रार्थी जब अपने चक्की के कारखाने से घर जा रहा था, जैसे ही प्रार्थी अनिल मिश्रा के घर के सामने पहुँचा तभी प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुये रामनिवास मिश्रा क्रिकेट बैट लेकर व श्यामजी मिश्रा डन्डा लेकर वहाँ आ गये और कहा कि साले तू रिपोर्ट कराने साथ गया था, अब तुझे जिन्दा नहीं छोडेगे, उसके बाद रिपोर्ट होगी, तब देख लेगे, फिर रामनिवास ने प्रार्थी सिर पर जान से मारने की नियत से बैट मारा जो प्रार्थी के सिर के पीछे व गर्दन में लगा। इसके बाद रामनिवास मिश्रा व श्यामजी मिश्रा दोनों ने बैट व डन्डे से प्रार्थी के ऊपर वार किये, प्रार्थी की चीख पुकार सुनकर प्राथी के चाचा राजू उर्फ राजीव तिवारी, नीरज तिवारी पुत्रगण राधेश्याम तिवारी, विकास तिवारी पुत्र संजू तिवारी, केशव तिवारी पुत्रगण राधेश्याम तिवारी आदि गॉव के काफी लोग आ गये जिन्होने घटना देखी व प्रार्थी को बचाया। प्रार्थी को इनकी मारपीट से काफी गम्भीर चोटे आयी है। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने उसी दिन शाम को थाना किशनी गया था, लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और न ही शरीर पर आई चोटो का डॉक्टरी मुआयना कराया। थाने पर मौजूद लोगों ने कहा कि पहले जॉच करेगे फिर रिपोर्ट लिखेगे। तब प्रार्थी ने अपने शरीर पर आई चोटो का डॉक्टरी मुआयना जिला अस्पताल मैनपुरी में कराया। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी को दिनांक 17.04.2026 को भेजा जिस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब मजबूर होकर प्रार्थी श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट उपरोक्त लोगों के विरूद्ध दर्ज करवाकर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना किशनी जिला मैनपुरी को आदेशित करने की कृपा करें। "

3– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, वकालतनामा, प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक मैनपुरी की छायाप्रति दाखिल की है।

4– संबंधित थाना से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पर लगाये गये आरोपों पूर्णत पुष्टि नहीं हो रही है। उक्त घटना से संबंधित कोई भी मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत नहीं है।

5– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– माननीय उच्च–न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल 472** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०स० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मजिस्ट्रेट हमेशा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना का आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है तथा मजिस्ट्रेट को अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०स० के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में ट्रीट करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। **" जोसेफ बनाम माथुरी उर्फ विश्वेशरानन्द एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी एवं अन्य 2001 एस.सी.सी–957 (सु.को.) तथा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य (2015) 6 एस.सी.सी–287 "** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०स० में दिये गये तथ्यों पर न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करना चाहिए और रूटीन में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०स० में आदेश पारित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट का यह विवेकाधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०स० को परिवाद के रूप में दर्ज कर प्रसंज्ञान ले सकता है। अतः इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिनी पुष्पा देवी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। विपक्षीगण को नोटिस निर्गत हो। परिवादी का बयान अंतर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. दर्ज किए जाने हेतु पत्रावली दिनांक 30.07.2026 को पेश हो।

(श्रीमती फ़रहीन खान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग)/
कोर्ट सं–1, मैनपुरी